संख्या-22/2016/462/नौ-5-2016-106बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
रामपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर पालिका परिषद, रामपुर को शासनादेश संख्या-7306/नौ-5-2013-197बजट/2013 दिनांक 09.01.2014 द्वारा रू. 463.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 231.50 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी। उक्त कार्यों में से एक कार्य-शौकत अली रोड के दोनों ओर फुटपाथ हटाकर सड़क चौड़ीकरण एवं पाइप रेलिंग लगाने के कार्य में टाइल्स एवं उसकी बेसमेंट कंक्रीट के स्थान पर डब्लू.बी.एम. सरफेस का कार्य कराये जाने की अनुमति एवं उक्त कार्य के परिवर्तन हेतु व्यय होने वाली धनराशि रू. 87.40 लाख के स्थान पर रू. 84.35 लाख की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-3106/नौ-5-2014-106बजट/2014 दिनांक 19.08.2014 द्वारा निर्गत की गयी थी।

2. जनहित में उक्त कार्य में पुनः संशोधन कराये जाने संबंधी आपके पत्र संख्या-29/नि.वि./15 दिनांक 10.11.2015 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3106/नौ-5-2014-106बजट/2014 दिनांक 19.08.2014 को संशोधित करते हुए शौकत अली रोड के दोनों ओर फुटपाथ हटाकर सड़क चौड़ीकरण एवं पाइप रेलिंग लगाने के कार्य की पुनरीक्षित लागत रू. 1,41,58,277/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है-

1. शासनादेश संख्या-7306/नौ-5-2013-197बजट/2013 दिनांक 09.01.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-7306/नौ-5-2013-197बजट/2013 दिनांक 09.01.2014 एवं शासनादेश संख्या-3106/नौ-5-2014-106बजट/2014 दिनांक 19.08.2014 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

4. निकाय द्वारा प्राथमिकता पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-2-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-22/2016-462/नौ-5-2016-106बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी, रामपुर।
4. कोषाधिकारी, रामपुर।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।